पीआईपीएफ़पीडी राष्ट्रीय सम्मेलन घोषणा

18-19 अप्रैल 2026, नई दिल्ली, भारत

पाकिस्तान-इंडिया पीपुल्स फ़ोरम फ़ॉर पीस ऐंड डेमोक्रेसी

'इश्क़, सियासत, अवाम: शांति क्यों ज़रूरी है'

हम, पीआईपीएफ़पीडी के सदस्य–देश भर से आए लोग–18 और 19 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में, पीआईपीएफ़पीडी राष्ट्रीय सम्मेलन के आह्वान इश्क़, सियासत, अवाम: शांति क्यों ज़रूरी है के तहत, एक बार फिर अपनी साझा ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी की तरफ़ लौटते हैं।

हम फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, साहिर लुधियानवी और अवतार सिंह पाश की याद और रूह के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं–ऐसे शायर जिन्होंने सरहदों की हिंसा को ठुकराया, खोखले राष्ट्रवाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और इश्क़, असहमति और अवाम को सियासत के केंद्र में रखा। हम पिछले साल की उस सभा की अधूरी बातचीत को भी आगे बढ़ाते हैं जिसमें फ़हमीदा रियाज़ और अमृता प्रीतम को याद किया गया था–ऐसी आवाज़ें जिन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस उपमहाद्वीप का इतिहास सिर्फ़ बटँवारे तक सीमित नहीं किया जा सकता, और इसका भविष्य दुश्मनी में कैद नहीं किया जा सकता। यह सम्मेलन PIPFPD के एक लंबे समय से सदस्य रहे, शिक्षक, इतिहासकार और समर्पित मार्क्सवादी बुद्धिजीवी प्रोफ़ेसर विजय सिंह की स्मृति में भी आयोजित किया गया था; जो ठीक उसी दिन गुज़र चले थे, जिस दिन यह सम्मेलन हो रहा था। उस समय यह घोषणा की गई थी कि यह राष्ट्रीय सम्मेलन उन्हीं के नाम पर और उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित किया जाएगा। हम यहाँ उस संकल्प का सम्मान करते हैं, और शांति, लोकतंत्र, इंसाफ तथा लोगों के बीच आपसी एकजुटता के लिए फोरम के नए सिरे से शुरू हुए संघर्ष में उनकी याद को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं।

यह सम्मेलन सिर्फ़ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है। यह लोगों के प्रतिरोध और उम्मीद की एक जारी विरासत का विस्तार है। यह प्रभुत्वशाली हुकूमतों के ख़िलाफ़ लोगों की जवाबी संस्कृति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सामने लाता है।

I. आज का राजनीतिक दौर: जंग के ख़िलाफ़, ख़ामोश कर देने की राजनीति के ख़िलाफ़

हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब उपमहाद्वीप और दुनिया एक बार फिर गहराते सैन्यीकरण, तानाशाही अहंकार, और सिकुड़ते लोकतांत्रिक दायरे के किनारे खड़े हैं। जंग को मामूली और बनावटी बहानों के सहारे सामान्य बनाया जा रहा है। सरहदों को हथियार में बदला जा रहा है। नफ़रत को पैदा किया जा रहा है। पितृसत्तात्मक "इज़्ज़त" के नाम पर औरतों के जिस्म को भी राजनीतिक औज़ार बनाया जा रहा है–जैसा 'ऑपरेशन सिंदूर' में हुआ, जहाँ एक रस्म के प्रतीक को जंग का नारा बना दिया गया।

हम बिना किसी हिचक के जंग और हिंसा की इस पूरी सोच को ठुकराते हैं। हम भारत और पाकिस्तान–दोनों में परमाणु राष्ट्रवाद को अस्वीकार करते हैं। हम दक्षिण एशिया में शांति, परमाणु निरस्त्रीकरण और असैन्यीकरण के प्रति अपनी बुनियादी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।

इस सम्मेलन के सत्र–'संघर्ष के भूगोलों में शांति की यादें' से लेकर 'सरहदों, जेलों और सैन्यीकृत क्षेत्रों से उठती आवाज़ें' तक–हमें याद दिलाते हैं कि जंग कोई अमूर्त चीज़ नहीं है। यह टूटे हुए परिवारों और लोगों की ज़िंदगियों में, कैद शरीरों में, विस्थापित समुदायों में, और दबा दी गई इतिहासों में जी जाती है। इसलिए हम साफ़ कहते हैं: शांति कोई नारा नहीं है। यह लोकतंत्र, मानवाधिकार और इंसाफ़ पर आधारित एक राजनीतिक मांग है।

हम यह मांग करते हैं कि नागा इलाक़ों के लोग, हिंसा से तबाह मणिपुर के अल्पसंख्यक समुदाय, और मध्य भारत में हिंसा और कॉरपोरेट कब्ज़े का विरोध कर रहे आदिवासी–इन सबको अपराधी न बनाया जाए; उनकी असहमति के अधिकार को आतंकवादी या माओवादी हिंसा कहकर बदनाम न किया जाए; और उन पर जारी दमन को तुरंत रोका जाए।

II. जम्मू और कश्मीर: लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान

हम बिना किसी अस्पष्टता के जम्मू, कश्मीर और लद्दाख पर अपनी पुरानी और स्पष्ट राजनीतिक स्थिति को दोहराते हैं। हम इस पूरे क्षेत्र को उपमहाद्वीप के सबसे अहम लोकतांत्रिक सवालों में से एक मानते हैं। हम साफ़ कहते हैं कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, या पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई ज़मीन-जायदाद का झगड़ा नहीं हैं। इस सवाल को हल करने का केंद्र पूरे अविभाजित जम्मू-कश्मीर के लोगों का आत्मनिर्णय का अधिकार है। हम हर तरह के कब्ज़े, सैन्यीकरण और दमन के ख़िलाफ़ मज़बूती से खड़े हैं।

हम राजनीतिक आवाज़ों को मिटाने, असहमति और जन-कार्रवाई को अपराध बनाने, और इस क्षेत्र की पहचान को टुकड़ों में बाँटने की कोशिशों को अस्वीकार करते हैं। हम सभी कश्मीरी राजनीतिक क़ैदियों और ज़मीर के क़ैदियों की रिहाई की मांग करते हैं। हम अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लिए जाने का विरोध करते हैं। हम बटे हुए परिवारों, ग़ायब किए गए लोगों के माता-पिता, जेलों में बंद लोगों, चुप करा दिए गए और अपमानित लोगों, और उन सबके साथ खड़े हैं जो इन असाधारण हालात में भी अपनी गरिमा बनाए रखते हुए, विचाराधीन राजनीतिक क़ैदियों की तरह संघर्ष कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में शांति, कश्मीर में इंसाफ़ के बिना संभव नहीं है।

III. फ़िलिस्तीन: हिंसा को उसके सही नाम से पुकारना

हम फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ अपनी अडिग एकजुटता का इज़हार करते हैं। हम फ़िलिस्तीनियों पर जारी हिंसा को उनके ज़मीन, जीवन और आत्मनिर्णय के अधिकार से व्यवस्थित इनकार के रूप में पहचानते हैं। हम ज़ायोनी सैन्य कब्ज़े, फ़िलिस्तीनी ज़मीन की इज़राइली नाकेबंदी, ग़ाज़ा में जारी जनसंहार, और फ़िलिस्तीनी लोगों पर रोज़मर्रा ढाए जा रहे ज़ुल्म की कड़ी निंदा करते हैं।

हम वैश्विक ताक़तों की मिलीभगत और क्षेत्रीय देशों की चुप्पी को अस्वीकार करते हैं। हम फ़िलिस्तीन पर भारत सरकार की शर्मनाक चुप्पी और इज़राइली तथा अमेरिकी शासन के प्रति उसके दोस्ताना झुकाव की भी निंदा करते हैं। हम इज़राइल के ख़िलाफ़ और उन सभी निगमों, उत्पादों, संस्थाओं और सांस्कृतिक मंचों के ख़िलाफ़ एक लगातार 'बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध' (BDS) अभियान चलाने का आह्वान करते हैं, जो फ़िलिस्तीनी लोगों के कब्ज़े, रंगभेद, नरसंहार और उत्पीड़न को संभव बनाते हैं, उनसे मुनाफ़ा कमाते हैं, या उन्हें सामान्य मानते हैं। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि फ़िलिस्तीन कोई दूर का मुद्दा नहीं है - यह साम्राज्यवाद, कब्ज़े और बेदख़ली के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही सभी लड़ाइयों का एक आईना है। और फ़िलिस्तीन के लोगों का लगातार जारी प्रतिरोध 21वीं सदी की क्रांतिकारी प्रगतिशील राजनीति का प्रतीक है।

IV. युद्ध और साम्राज्यवादी आक्रमण के विरुद्ध: ईरान, लेबनान, यूक्रेन, वेनेज़ुएला, क्यूबा

हम अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे युद्ध, युद्ध की बढ़ती तीव्रता, ईरानी नेताओं को निशाना बनाकर की गई हत्याओं, ईरानी और लेबनानी लोगों तथा बुनियादी ढांचे पर बर्बर

हमलों, और ईरान की सभ्यता को तोड़ देने की धमकियों की कड़ी निंदा करते हैं। हम उस युद्धविराम का स्वागत करते हैं जो पाकिस्तान, चीन, तुर्की, रूस और अन्य देशों की राजनीतिक पहलों के तहत संभव हुआ।

हम उस अमेरिकी और ज़ायोनी तर्क को अस्वीकार करते हैं जिसके मुताबिक़ ईरान कोई वैश्विक ख़तरा है या "आतंकवाद को पनाह" देता है। हम दोहराते हैं कि असली ख़तरा फ़ौजी और जिंगोइस्ट अमेरिका और इज़राइल हैं, जो इंसानियत और धरती–दोनों के लिए ख़तरा हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखे और फ़िलिस्तीन और ईरान के लोगों और सरकारों के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों की क़ीमत पर कोई समझौता न करे।

हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह फ़िलिस्तीन और ईरान के लोगों तथा सरकारों के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंधों की बलि दिए बिना, वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखे। ईरान के साथ युद्ध का संबंध लोकतंत्र से नहीं है। इसका संबंध तेल की शक्ति और वैश्विक वर्चस्व के खेलों से है।

हम हर तरह के साम्राज्यवादी हस्तक्षेप, प्रतिबंधों की राजनीति, और उन सैन्य आक्रमणों को अस्वीकार करते हैं जो "सुरक्षा" या "भूराजनैतिक नियंत्रण" के नाम पर क्षेत्रों को अस्थिर करना चाहते हैं। हम वेनेज़ुएला की संप्रभुता का उल्लंघन करने और वहाँ की सरकार बदलने के लिए देश के चुने हुए राष्ट्रपति का 'अपहरण' करने की USA की आपराधिक कार्रवाई की निंदा करते हैं। हम क्यूबा की जीवनरेखा को अवरुद्ध करने और वहाँ की सरकार को अस्थिर करने के सुनियोजित अभियान के विरुद्ध हैं। हम यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का आग्रह करते हैं और रूस की सैन्य-आधारित क्षेत्रीय आक्रामकता का विरोध करते हैं।

V. साम्राज्यवादी पूंजीवाद और जंग की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के ख़िलाफ़

हम मानते हैं कि जंग सिर्फ़ वैचारिक नहीं होती–वह आर्थिक भी होती है। दक्षिण एशिया में सैन्यीकरण, संसाधनों की लूट, और कॉरपोरेट नियंत्रण का फैलाव साम्राज्यवादी पूंजीवाद से गहराई से जुड़ा हुआ है। वही ताक़तें जो जंग से मुनाफ़ा कमाती हैं, वही मज़दूरों, किसानों, खेतिहर समाज, असंगठित मेहनतकशों और मछुआरा समुदायों की बेदखली से भी लाभ कमाती हैं।

हम उस राजनीतिक अर्थव्यवस्था की निंदा करते हैं जो संघर्ष, विस्थापन और पारिस्थितिक विनाश पर फलती-फूलती है। हम स्पष्ट करते हैं कि असमानता, शोषण और पारिस्थितिक टूटन को बनाए रखने वाली व्यवस्थाओं के साथ शांति संभव नहीं है।

VI. मेहनतकश लोग, और ज़मीन, आजीविका तथा पारिस्थितिक स्थिरता का सवाल

यह सम्मेलन पूरे उपमहाद्वीप के मेहनतकश लोगों की ज़िंदगी को अपने केंद्र में रखता है। हम ख़ास तौर पर प्रवासी मज़दूरों के अधिकारों की बात करते हैं–वे लोग जिन्हें रोज़गार और जीवन-निर्वाह के लिए अपना घर-इलाक़ा छोड़ना पड़ा और जो अपने ही देश या देश के बाहर, शत्रुतापूर्ण हालात में, अधिकारविहीन नागरिकों की तरह जीने को मजबूर हैं। हम उन लोगों के संघर्ष को भी विशेष महत्व देते हैं जिन्हें सैन्य संघर्षों, जातिगत दमन और लैंगिक हिंसा के कारण बेदखली और निर्वासन झेलना पड़ा है।

हम मेहनतकश जनता के संघर्षों के साथ एकजुट हैं–औद्योगिक मज़दूरों से लेकर असंगठित क्षेत्र तक, कृषि और वन मज़दूरों से लेकर मछुआरा समुदायों तक, जो आज भी सरहदों और संघर्ष का बोझ उठा रहे हैं। हम भारत में वनाधिकार क़ानून 2006 के लोकतांत्रिक ढंग से लागू किए जाने की मांग का समर्थन करते हैं, और यह भी मांग करते हैं कि ऐतिहासिक समुद्री समुदायों और आदिवासी/मूल तटीय समाजों को समुद्री और तटीय संसाधनों का अधिकारधारी कानूनी रूप से माना जाए।

हम भारत और पाकिस्तान की जेलों में बंद मछुआरों और आम नागरिक क़ैदियों की तुरंत रिहाई और वतन-वापसी की मांग करते हैं। ये लोग दुश्मन नहीं हैं। ये मछुआरे और आम लोग हैं जो राष्ट्र-निर्मित सरहदों की हिंसा में फसँ गए हैं।

हम यह मानते हैं कि रोज़ी-रोटी एक अधिकार है, और साझा जल-क्षेत्रों पर खींची गई अदृश्य लकीरों को पार करने के कारण किसी भी मेहनतकश को अपराधी नहीं ठहराया जाना चाहिए। हम मछुआरा समुदायों के लिए नो-अरेस्ट पॉलिसी लागू करने और भारत-पाकिस्तान के बीच 2008 के कॉन्सुलर एक्सेस समझौते को लागू करने की मांग करते हैं।

VII. महिलाए, जेंडर न्याय और देह की स्वायत्तता

हम दोहराते हैं कि जेंडर न्याय के बिना शांति खोखली है। हम पितृसत्ता के हर रूप–राज्य की हिंसा, सैन्य मर्दानगी, धार्मिक कट्टरता और रोज़मर्रा के जेंडर उत्पीड़न–की निंदा करते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि अब वक़्त आ गया है कि उपमहाद्वीप सिर्फ़ यौन हिंसा के ख़िलाफ़ “ज़ीरो टॉलरेंस” की बात न करे, बल्कि

रोकथाम, न्याय, प्रतिकार और अपराधियों तथा राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली नीतियाँ और क़ानून भी लागू करे।

अब हमारे लिए यह पहचानने का भी समय आ गया है कि महिलाओं के वस्तुकरण के रूप किस तरह बदल रहे हैं–जिसे वैश्विक नव-उदारवादी पूंजीवाद ने संभव बनाया है–और जिसमें अब मानव तस्करी दुनिया भर में व्यापार करने का बस एक और ज़रिया बन गई है: महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण करना और उन्हें अपराधी के तौर पर देखना अब स्वीकार्य हो गया है। हमें यह समझना होगा कि इस स्थिति का मतलब है आपसी रिश्तों में नैतिक मूल्यों का पूरी तरह से पतन और मानवीय संवेदनाओं का मर जाना। इसका सामना करने के लिए, हमें उस सड़न को समझना होगा जिसने पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले लिया है। पाकिस्तान और भारत अब ऐसी दुनिया में मौजूद हैं, जहाँ राजनीतिक सत्ता, वित्त और कॉरपोरेट्स के बीच एक अपवित्र गठजोड़ बन गया है, जिसमें किसी भी बुनियादी नैतिक चेतना का अभाव है। ऐसी स्थिति में, लैंगिक न्याय की तलाश अब और भी अधिक चुनौतीपूर्ण और अनिवार्य हो गई है।

हम शांति और लोकतंत्र के आंदोलनों में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका को केंद्रीय मानते हैं। इस सम्मेलन में गवाही, प्रतिरोध और राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में जो आवाज़ें सामने आईं, उन्होंने साफ़ कर दिया है कि महिलाएँ सिर्फ़ पीड़ित या "सर्वाइवर" नहीं हैं; वे नेता हैं, संगठक हैं, और भविष्य की कल्पना करने वाली दृष्टिसंपन्न हस्तियाँ हैं। हम देह की स्वायत्तता, जेंडर न्याय और हिंसा से मुक्ति के सिद्धांतों को एक प्रगतिशील लोकतांत्रिक भविष्य की अटूट बुनियाद मानते हैं।

VIII. जातिवाद, सांप्रदायिकता और नफ़रत की राजनीति के ख़िलाफ़

हम जातिगत दमन और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को ऐसी संरचनात्मक हिंसा के रूप में पहचानते हैं जो लोकतंत्र, इंसाफ़, मानवाधिकार और शांति की संभावना को तोड़ देती है। हम मीडिया, शिक्षा और राजनीतिक विमर्श के ज़रिए रची जा रही नफ़रत की राजनीति को अस्वीकार करते हैं, जो लोगों को धर्म, जाति और जातीय पहचान के आधार पर बाँटना चाहती है।

जहाँ एक ओर पाकिस्तान और भारत के बीच शांति की राह में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण सबसे बड़ी बाधा है, वहीं दूसरी ओर पूरे उपमहाद्वीप की सामाजिक संरचना में सदियों से जाति-आधारित विभाजन गहरे

तक समाए हुए हैं, जिसके चलते नागरिक समाज कई तरह से खंडित हो गया है। यह स्थिति सार्वभौमिक एकजुटता के उभरने में बाधक बनती है।

जाति के विनाश के बिना शांति नहीं हो सकती।
सांप्रदायिक फ़ासीवाद का प्रतिरोध किए बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता।

IX. धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावादी लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की पुष्टि

हम धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावादी लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को इस फ़ोरम की मूल प्रतिबद्धताएँ मानते हैं, और भारत, पाकिस्तान तथा पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य के लिए इन्हें ही एक सम्मानजनक और सार्थक दिशा मानते हैं। जंग की पिसाई मशीन, गढ़ी हुई दुश्मनी, पितृसत्तात्मक प्रभुत्व, जातिगत ऊँच-नीच, और दूर बैठी ताक़तों की सेवा में बनी आर्थिक व्यवस्थाओं के ख़िलाफ़ हम यह कहते हैं कि किसी भी लोकतंत्र के केंद्र में आम और विविध लोग ही होने चाहिए।

X. जलवायु न्याय और उपमहाद्वीप का भविष्य

हम मानते हैं कि जलवायु संकट अब भविष्य का ख़तरा नहीं रहा–यह एक लगातार जारी तबाही है, जिसके आने वाली पीढ़ियों पर अकल्पनीय असर होंगे।

तटीय कटाव से लेकर बाढ़ तक, विस्थापन से लेकर आजीविका के टूटने तक, हिमस्खलन और जंगल की आग से लेकर पहाड़ी इलाक़ों और वनों के पूरी तरह नष्ट हो जाने तक–सबसे ज़्यादा मार उन समुदायों पर पड़ रही है जिन्होंने यह संकट पैदा ही नहीं किया। विडंबना यह है कि वही औद्योगिक पूंजीवाद, जिसकी जड़ें साम्राज्यवादी लूट में हैं, आज जलवायु संकट को "एंथ्रोपोसीन" कहकर समझाना चाहता है, जबकि यह असल में "कैपिटालोसीन" से पैदा हुई तबाही है।

हम उन पूंजीवादी झूठे समाधानों को ठुकराते हैं जो प्रकृति को माल में बदलते हैं और लोगों को बेदखल करते हैं। हम राज्य-कारपोरेट गठजोड़ द्वारा बेलगाम खनन के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे आदिवासी समुदायों पर किए जा रहे दमन की निंदा करते हैं। हम ऐसे जलवायु न्याय की मांग करते हैं जो समुदायों के अधिकारों, पारिस्थितिक स्थिरता, और प्राकृतिक संसाधनों पर पारंपरिक समुदायों के रिवायती अधिकारों पर आधारित हो।

XI. आर्थिक न्याय और संपत्ति की असमानता

हम मानते हैं कि दक्षिण एशिया में शांति का संकट, आर्थिक न्याय के संकट से अलग नहीं है। भारत और पाकिस्तान–दोनों में असमानता का स्तर सिर्फ़ अन्यायपूर्ण ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर देने वाला हो चुका है। हाल की वैश्विक असमानता पर केंद्रित रिपोर्टें बताती हैं कि दोनों देशों में ऊपर के 10 फ़ीसदी लोग राष्ट्रीय संपत्ति के 40 से 60 फ़ीसदी से भी ज़्यादा हिस्से पर क़ब्ज़ा रखते हैं, जबकि नीचे के 50 फ़ीसदी लोग असुरक्षा, असंगठित काम और बुनियादी सेवाओं तक घटती पहुँच के बीच फसँे हुए हैं।

भारत में अनुमान बताते हैं कि 80 फ़ीसदी से ज़्यादा आबादी ग़रीबी की असुरक्षा से जूझ रही है, और बड़ी आबादी के पास सुरक्षित रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक आजीविका नहीं है। पाकिस्तान में भी एक-तिहाई से ज़्यादा आबादी ग़रीबी रेखा के नीचे या उसके आसपास जी रही है, और वहाँ क्षेत्रीय तथा वर्गीय असमानताए बँहिष्करण को और बढ़ाती हैं। ये छोटी-मोटी नाकामियाँ नहीं हैं–ये नीतिगत चुनावों के परिणाम हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुचँ भी इस ढाँचेगत असमानता को उजागर करती है। दोनों देशों में आबादी का बड़ा हिस्सा कमज़ोर सरकारी व्यवस्था या महगँी निजी सेवाओं पर निर्भर है, जिससे बहिष्करण और बढ़ता है। भारत में विभिन्न सर्वेक्षणों ने संकेत दिया है कि 50 फ़ीसदी से ज़्यादा बच्चों को बुनियादी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुचँ नहीं है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च दुनिया में सबसे कम स्तरों में है, जिसके कारण लाखों लोग अपनी जेब से इलाज कराते-कराते क़र्ज़ में डूब जाते हैं। पाकिस्तान में साक्षरता दर लगभग 60 फ़ीसदी के आसपास अटकी हुई है, उसमें भी लैंगिक असमानता गहरी है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद कमज़ोर है।

इन असमानताओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था की वह दिशा और तेज़ करती है जो नवउदारवाद से बनी और अब डिजिटल इजारेदारियों के विस्तार से और कठोर हुई है। बिग टेक और वित्तीय पूंजी ने संपत्ति का केंद्रीकरण बढ़ाया है, जबकि वैश्विक दक्षिण–जिसमें दक्षिण एशिया भी शामिल है–में मेहनत लगातार असंगठित, असुरक्षित और फेंक देने लायक़ बनाई गई है। इसी तरह जलवायु संकट भी एक असमान दुनिया का चेहरा दिखाता है: वैश्विक उत्तर कार्बन स्पेस पर क़ब्ज़ा बनाए हुए है, जबकि वैश्विक दक्षिण पारिस्थितिक और आजीविका संबंधी नुक़सान का असमान बोझ उठा रहा है।

हमारे अपने देशों के भीतर भी इसका नतीजा यह है कि बेहद अमीरी के छोटे-छोटे द्वीप, ग़रीबी और असुरक्षा के विशाल समंदर के बीच खड़े हो गए हैं; जहाँ कॉरपोरेट केंद्रीकरण, चहेता पूंजीवाद और नीति पर क़ब्ज़ा मज़दूरों, किसानों और छोटे उत्पादकों को हाशिए पर धकेल रहे हैं।

इसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की आर्थिक क़ीमत भी बहुत बड़ी है। भौगोलिक नज़दीकी और एक-दूसरे की ज़रूरतों के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार को कृत्रिम रूप से दबाया गया है। कई अध्ययन बताते हैं that औपचारिक भारत-पाक व्यापार सालाना 20 से 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुचँ सकता है, जबकि अभी यह बहुत कम स्तर पर है और अक्सर यूएई जैसे तीसरे देशों के रास्ते होता है। सीधे व्यापार के अभाव से दाम बढ़ते हैं, आजीविका का नुक़सान होता है, और ज़रूरी चीज़ों तक पहुचँ कम होती है।

सब्ज़ियाँ, फल, सूखे मेवे, नमक जैसी आवश्यक चीज़ें, और कम लागत वाले तैयार औद्योगिक सामान–इन सबका सीधे व्यापार न होने से पूरा उपमहाद्वीप नुक़सान उठाता है। किसान, छोटे व्यापारी, परिवहन मज़दूर और दोनों तरफ़ के उपभोक्ता इस राजनीतिक गतिरोध की क़ीमत चुका रहे हैं। जो रिश्ता साझा आर्थिक फ़ायदे का गलियारा बन सकता था, उसे भारी नुक़सान के इलाके में बदल दिया गया है।

एक-दूसरे के क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति पर रोक लगने से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। भारत में चिकित्सा सेवाओं तक पाकिस्तानी नागरिकों की पहुचँ में आई बाधा मानवीय देखभाल से वंचित करने जैसा है, और साथ ही यह चिकित्सा पर्यटन के तेज़ी से बढ़ते क्षेत्र में राजस्व का नुकसान भी है।

हम यह मानते हैं कि यह सब अपरिहार्य नहीं है। जी20 द्वारा गठित वैश्विक असमानता पर स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति ने भी कहा है कि चरम असमानता नीतिगत चुनावों का नतीजा है–और इसे प्रगतिशील कर व्यवस्था, संपत्ति के पुनर्वितरण और मज़बूत सार्वजनिक प्रावधानों के ज़रिए बदला जा सकता है।

फिर भी, पूरे क्षेत्र में अमीरों पर कर, कॉरपोरेट जवाबदेही और पुनर्वितरण न्याय पर एक परेशान करने वाली चुप्पी बनी हुई है।

इसलिए यह सम्मेलन निम्नलिखित संकल्प करता है:

> अत्यधिक अमीरों और बड़ी कंपनियों पर भी शामिल प्रगतिशील कर व्यवस्था की मांग की जाए, ताकि लोक-कल्याण के लिए संसाधन जुटाए जा सकें।
> उन श्रम संहिताओं को जवाबदेह ठहराना, जो श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के बजाय उनका दमन करती हैं।
> गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक सार्वभौमिक पहुचँ को बुनियादी अधिकार माना जाए।

उन नीतियों का विरोध किया जाए जो आवश्यक सेवाओं में निजीकरण और बहिष्करण को बढ़ाती हैं।

भारत-पाक व्यापार की बहाली और विस्तार–ख़ासकर खेती, मत्स्य और लघु उद्योगों में–आर्थिक न्याय और शांति-निर्माण के एक ज़रूरी क़दम के रूप में किया जाए।

कॉरपोरेट इजारेदारी, चहेता पूंजीवाद और उन नीतियों को चुनौती दी जाए जो संपत्ति को ऊपर केंद्रीकृत करती हैं और बहुसंख्यक लोगों को बेदखल करती हैं।

आर्थिक न्याय, शांति से अलग नहीं है।
पुनर्वितरण के बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता।
बराबरी के बिना स्थायी शांति नहीं हो सकती।

XII. संस्कृति, युवा और कल्पना की पुनर्प्राप्ति

यह सम्मेलन संस्कृति, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, और युवाओं की मौजूदगी और भागीदारी से गढ़ा गया है–कला, संवाद और राजनीतिक भागीदारी के ज़रिए।

बच्चों और युवाओं की पेंटिंग पहलों से लेकर युवाओं के नेतृत्व वाले सांस्कृतिक एकजुटता सत्रों तक, यह साफ़ है कि फ़ोरम का भविष्य पीढ़ियों के बीच संवाद, भागीदारी, नारीवादी आदान-प्रदान और नवीकरण में है।

हम सरहदों के पार युवाओं की भागीदारी के लिए स्थायी मंच बनाने का संकल्प लेते हैं, और संस्कृति को सिर्फ़ सजावट नहीं, बल्कि प्रतिरोध और राजनीतिक कल्पना की ज़मीन मानते हैं।

जैसा शायर हमें याद दिलाते हैं–संघर्ष सिर्फ़ उसके ख़िलाफ़ नहीं होता जो मौजूद है, बल्कि उसके लिए भी होता है जिसे बनाया जाना है।

XIII. सरहद-पार एकजुटता का पुनर्निर्माण

हम फ़ोरम की संस्थापक भावना–भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों से लोगों के रिश्ते–को फिर से पुष्ट करते हैं। हम इसे फ़ोरम की बिना शर्त राजनीतिक स्थिति के रूप में दोहराते हैं।

हम मेहनतकशों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों, कलाकारों, पत्रकारों, लेखकों और शिक्षकों/अकादमिकों के बीच सरहद-पार आदान-प्रदान को मज़बूत करने का संकल्प लेते हैं। हम संवाद, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की बहाली को शांति के लिए अनिवार्य शर्त मानते हैं। हम भारत और पाकिस्तान के बीच

सीमाओं को खोलने, वीज़ा सेवाओं को सक्रिय और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से बहाल करने, आम नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाओं की बहाली, जिसमें मुनाबाओ, करतारपुर, वाघा, उरी और पुंछ जैसे मार्ग भी शामिल हैं, और रेल, बस तथा हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने की मांग करते हैं–ताकि आम भारतीय और पाकिस्तानी एक-दूसरे के देशों में आ-जा सकें, एक-दूसरे को समझ सकें, और एक-दूसरे से सीख सकें।

हम उन प्रतिकूल वीज़ा व्यवस्थाओं, निगरानी तंत्रों और राजनीतिक बाधाओं को अस्वीकार करते हैं जो लोगों को मिलने, बोलने और एकजुटता बनाने से रोकती हैं। सरहदें राज्यों को बाँट सकती हैं, लोगों को नहीं।

दोनों पंजाबों के लोगों ने जुलाई 2025 में इस बात को साबित कर दिखाया। सतलुज नदी के दरवाज़े खोले जाने के बाद पूर्वी पंजाब के इलाकों में बाढ़ आ गई थी; अगर पश्चिमी पंजाब के लोगों ने सुलेमान बांध के दरवाज़े खोलकर पानी को आगे बहने न दिया होता–जिससे पाकिस्तान की तरफ के गाँव भी बाढ़ की चपेट में आ गए थे–तो पूर्वी पंजाब की ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया होता। इस काम के लिए किसी भी सरकारी स्तर पर कोई तारीफ़ तो नहीं की गई, लेकिन दोनों तरफ के लोगों के बीच के इस गहरे रिश्ते को गीतों के ज़रिए हमेशा के लिए अमर कर दिया गया।

हम 'सिंधु जल संधि' (Indus Waters Treaty) को एकतरफ़ा तौर पर निलंबित करने के फ़ैसले को वापस लेने की माँग करते हैं; यह संधि युद्धों और भारत-पाकिस्तान संबंधों में आई तमाम उथल-पुथल के बावजूद, समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है।

XIV. आगे का रास्ता

यह सम्मेलन सिर्फ़ विचार-विमर्श करके नहीं रुका है–इसने संकल्प लिया है।

सदस्यों की सभा और संगठनात्मक बैठकों में हुई चर्चा के आधार पर, हम यह संकल्प करते हैं कि:

फ़ोरम के संगठनात्मक आधार और सदस्यता को क्षेत्रों में मज़बूत किया जाएगा।
फ़ोरम के भीतर युवाओं और महिलाओं के नेतृत्व का विस्तार किया जाएगा।
शांति, लोकतंत्र, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और लोगों की एकता पर लगातार अभियान चलाए जाएगे–जिसमें कश्मीर और जंग के सवाल भी शामिल होंगे।
जनमत को आकार देने में फ़िल्मों, प्रोपेगैंडा और ऑडियो-विज़ुअल माध्यम की भूमिका की जाँच करने के लिए, तथा नफ़रत, सैन्यवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, पितृसत्ता और युद्ध-प्रेरित

नैरेटिव के विरुद्ध समयोचित सांस्कृतिक और राजनीतिक हस्तक्षेप विकसित करने के लिए एक 'फ़िल्म और मीडिया हस्तक्षेप समिति' का गठन करना।

अगला संयुक्त सम्मेलन अधिक स्पष्ट राजनीतिक दिशा और पीआईपीएफ़पीडी चार्टर में निहित सिद्धांतों की फिर से पुष्टि के साथ तैयार किया जाएगा।

दक्षिण एशिया और उसके बाहर के आंदोलनों के साथ गहरा संवाद और साझेदारी बढ़ाई जाएगी।

वक़्त आ गया है...!

जैसा अवतार सिंह पाश ने लिखा था–"वक़्त आ गया है"।

वक़्त आ गया है जंग को ठुकराने का।
वक़्त आ गया है नफ़रत को तोड़ने का।
वक़्त आ गया है सियासत को वापस लेने का–लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए।

हम इस सम्मेलन को किसी समापन की तरह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह छोड़ रहे हैं।

हम लड़ेंगे साथी।
वी शैल फ़ाइट, कॉमरेड।
न राष्ट्रों के लिए।
न सत्ता के लिए।
बल्कि इश्क़, सियासत और अवाम के लिए...
मोहब्बत के लिए, सियासत के लिए, और लोगों के लिए....

पीआईपीएफ़पीडी के नई दिल्ली राष्ट्रीय सम्मेलन में 19 अप्रैल 2026 को स्वीकृत।